न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 39/2022
जीसीएमएस नम्बर :: 2022/350

अपीलाण्ट्स :-	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :-
1. सुखाराम पुत्र भोपालराम, 2. मोरी पत्नी भोपालराम, जातिगण देवासी निवासीगण डूंगरपुर, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)		1. पप्पाराम पुत्र भाणाराम, 2. झमकुदेवी पत्नी भाणाराम, 3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री दौलतराम मकवाणा
रेस्पो. संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह, प्रवीण व्यास

:: निर्णय ::-

दिनांक :- **22.07.2024**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार रोहट के प्रकरण संख्या 01/2022 बअनवान पप्पाराम वगैरह बनाम सुखाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 26.05.2022 के विरूद्ध पेश की गई। अपील-अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री दौलतराम मकवाणा वक्त बहस उपस्थित हुए। रेस्पो. संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित व श्री प्रवीण व्यास वक्त बहस उपस्थित हुए। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील-मीमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि रेस्पो. संख्या 01 व 02 को अपना मुकदमा अपनी साक्ष्य पेशकर साबित करना होता है भले ही रेस्पोडेण्ट्स अनुसूचित जाति में क्यों ना आते हो परन्तु रेस्पोडेण्ट्स witness box में आये ही नहीं फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हमेशा ही प्रार्थीगण पर भार होता है कि वह अपने वाद/प्रार्थना-पत्र में तथ्यों को सक्षम साक्ष्य पेश कर साबित करे तथा यह साबित करे कि उसका वाद/प्रार्थना-पत्र का अन्दर मियाद है। धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत बिना प्रार्थना-पत्र का संबंध लिमिटेशन से है। रेस्पोडेण्ट्स ने अपना प्रार्थना-पत्र अन्दर मियाद होने बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है इसलिए भी जैर अपीलाधीन आदेश काबिले खारिज है। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्श से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 56/14 व 56/11 जो पुराने काबिज है व आज भी कब्जाशुदा काश्त अपनी-अपनी माठों में कर रहे परन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई तरमीम गलत होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो विधि के प्रावधानों के विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जैर अपीलाधीन आदेश खारिज फरमावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने वक्त बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट्स की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि इस प्रकरण में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया है। प्रकरण में limitation के बारे में कहा गया है जिस बाबत् नाजायज कब्जा अपीलाण्ट द्वारा 01 फरवरी 2022 में कर लेने से इस हेतु उसके द्वारा एक फरवरी 2022 में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई जिसकी प्रति भी पेश की है जिससे limitation के उल्लंघन नहीं किया गया है। बवक्त आवंटन से रेस्पोडेण्ट्स राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई तरमीम के अनुसार ही काबिज है। अतः जैर अपील सारहीन होने से खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन कर मनन किया तो यह पाया कि इस प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट के पक्ष में जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य है उसकी आराजी संख्या 56/14 रकबा 15 बीघा भूमि का अतिक्रमण हटाने का जो आदेश दिया है उससे रूष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

जैर अपील में अपीलाण्ट ने प्रमुख आधार यह लिया है कि witness box में कोई नहीं आये है तथा दावे के अनुसार उक्त प्रक्रिया को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत नहीं किया गया है, limitation के बारे में कोई विवेचन नहीं किया गया है, विधिवत जांच नहीं की गई है, उक्त आवंटन से ही उसी प्रकार पक्षकारान् अपनी–अपनी माठों (सीमाओं) पर काबिज है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा उपरोक्त तथ्यों का खंडन किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण में हम यह पाते है कि 183 बी का प्रकरण भूमि सुधार कानूनों के तहत संक्षिप्त कार्यवाही होती है एवं उक्त कार्यवाही को तीन माह की अवधि में सम्पन्न किया जाना होता है। अतएव इस प्रकरण में पीठासीन अधिकारी को अपने स्तर पर जांच करवाने के पश्चात व दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय किया जाना होता है। इस प्रकरण में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया है। प्रकरण में limitation रेस्पोडेण्ट द्वारा व्यक्त की गई है तथा उसके द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में स्पष्ट रूप से पद संख्या 04 में नाजायज कब्जा फरवरी 2022 में कर लेने लेने से इस हेतु उसके द्वारा 01 फरवरी 2022 में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई जिसकी प्रति भी पेश की है जिससे limitation के उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं आता। अपीलाण्ट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उज्र यह है कि बवक्त आवंटन से पक्षकारान् इसी प्रकार काबिज है। अतएव सभी की सीमा जानकारी करवाकर उन्हें उनके वास्तविक भूमि पर बैठाया जाना अपेक्षित है। न्यायालय हाजा इस अभिमत के है कि इस प्रकरण में धारा 183 बी के तहत निर्णय का प्रश्न है तथा 01 अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आवंटित एवं राजस्व रेकर्ड में जो भूमि नक्शे में उसको आवंटित है उस भूमि का वह अधिकारी है तथा उसे उस भूमि का कब्जा दिया जाना वांछनीय है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस वैधानिक दायित्व की पूर्ति में प्रार्थी रेस्पोडेण्ट को उसकी भूमि का जो राजस्व रेकर्ड के अनुसार उसकी बनती है, कब्जा दिलवाया जाने का आदेश पारित किया है।

अतएव हम उक्त आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते। अतः अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। हम यहां पर यह भी निर्देश दिया जाना उचित समझते है कि यदि प्रार्थी रेस्पोडेण्ट उसे आवंटित वास्तविक नक्शे के अनुसार आवंटित भूमि का कब्जा

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner